

सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में दिनांक 27 जुलाई, 2011 को 4.00 बजे (अपराह्न) को आयोजित नागर विमानन मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

नागर विमानन मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में दिनांक 27 जुलाई, 2011 को किया गया । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुबंध 'क' में दी गई है।

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया और तत्पश्चात् कार्यसूची के अनुसार बैठक आरंभ करने के निदेश दिए:-

मद सं0 -1 पिछली बैठक (20 अप्रैल, 2011) के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधितों को 03.05.2011 को भेज दिया गया था । कहीं से भी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है । अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

मद सं0-2 पिछली बैठक पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी जानकारी

- (1) **एअर इंडिया द्वारा टिकटों को द्विभाषी जारी करना :** इस संबंध में एअर इंडिया के प्रतिनिधि कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं विधि) श्री सुभाष कुंद्रा ने समिति को सूचित किया कि इंटरनेट के माध्यम से निकाली जाने वाली ई-टिकटों के संबंध में तो द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है किन्तु एअर इंडिया के बिक्री काउंटरों (मेनफ्रेम कंप्यूटर्स) पर अभी टिकटें केवल अंग्रेजी में ही जारी की जाती हैं । उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में एअर इंडिया को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) के दिनांक 12.04.2002 के पत्र सं0 13 (2) 2001- सी डी डी के द्वारा छूट प्रदान की हुई है ।
- (2) **एअर इंडिया के पायलटों द्वारा उद्घोषणाएं द्विभाषी किया जाना :** सदस्य सचिव ने बताया कि एअर इंडिया के पायलटों द्वारा की जाने वाली उद्घोषणाओं का द्विभाषी टेक्स्ट प्राप्त नहीं हुआ है । जानकारी दी गई कि द्विभाषी टेक्स्ट उपलब्ध कराने के लिए कार्य0 निदेशक (प्रचालन) को लिखा गया है और इसके उपलब्ध होते ही मंत्रालय को भिजवा दिया जाएगा ।
(कार्रवाई: एअर इंडिया)
- (3) **प्राइवेट एयरलाइनों में ई-टिकेटिंग (द्विभाषी) होना तथा पायलटों द्वारा उद्घोषणाएं द्विभाषी किया जाना :** सदस्य सचिव ने सूचित किया कि नागर विमानन महानिदेशालय ने इस संबंध में अपने दिनांक 09.05.2011 के पत्र के माध्यम से सभी एयरलाइनों को लिख दिया है। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि उनके प्राइवेट एयरलाइनों के बारे में उपर्युक्त के संबंध में कैसे अनुभव हैं ? अवगत कराया गया कि उद्घोषणाएं द्विभाषी जारी की जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय ने अपेक्षा व्यक्त की कि उपर्युक्त के संबंध में समय-समय पर सर्कुलर निकाले जाते रहने चाहिए।

(कार्रवाई : डी जी सी ए)

जारी..../2

- (4) विज्ञापनों पर व्यय (हिन्दी तथा अंग्रेजी में 50-50 %): सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मामला राजभाषा विभाग को संदर्भित किया गया था। राजभाषा विभाग ने अपने दिनांक 20 जून, 2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह सूचित किया है कि "सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें। ऐसा करते हुए राजभाषा नीति के प्रावधानों के प्रति उपर्युक्त संवेदनशीलता दिखाई जाए।" इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों की प्रतिक्रिया लेने के बाद निदेश दिए कि सर्वप्रथम हमें मंत्रालय तथा इसके अधीन के संगठनों से विज्ञापनों पर व्यय के आंकड़े प्राप्त करने चाहिए ताकि इस बात का पता चल सके कि वर्तमान में कौन-सा संगठन, हिन्दी तथा अंग्रेजी के विज्ञापनों पर कितने-कितने प्रतिशत व्यय कर रहा है। इस सूचना के प्राप्त होने पर, राजभाषा विभाग के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर निर्णय लिया जा सकेगा।

(कार्रवाई: मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ सभी संगठन)

- (5) विभागीय बैठकों से संबंधित कार्यवृत्त द्विभाषी जारी करना।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि इस संबंध में दिनांक 06.05.2011 को एक कार्यालय ज्ञापन परिचालित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने अपेक्षा व्यक्त की कि इस संबंध में सभी संगठन अपेक्षित कार्रवाई कर रहे होंगे।

(कार्रवाई: मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ सभी संगठन)

- (6) राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2011-12 का वार्षिक कार्यक्रम

सदस्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम पर पिछली बैठक में चर्चा हो गई थी। अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार वार्षिक कार्यक्रम (2011-12) की प्रतियां भी, राजभाषा विभाग से प्राप्त करके सभी संबंधितों को प्रेषित की जा चुकी है।

- मद सं0-3 पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

सदस्य सचिव ने बताया कि मई, 2011 के दौरान मंत्रालय के दिल्ली स्थित सभी 7 कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण उनके द्वारा कर लिया गया है। सभी कार्यालयों को निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रेषित की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि इन रिपोर्ट्स पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए।

मंत्रालय तथा इसके अधीन के संगठनों में पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेते समय पाया गया कि सभी संगठनों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है तथापि भारतीय होटल निगम तथा भारतीय आर्थिक विनियामक प्रधिकरण (एरा) में हिन्दी में

पत्राचार अपेक्षाकृत कम है। इन कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने सुधार लाने का भरोसा दिलाया। श्री संदीप प्रकाश, सचिव, भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने कहा कि उनके संगठन में 'कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक' के पद का सृजन होना चाहिए। हालांकि पद के सृजन की पात्रता के लिए अपेक्षित कार्मिकों की संख्या थोड़ी कम (18 की तुलना में 15) है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि छूट प्राप्त करने के लिए उनकी ओर से एक पत्र राजभाषा विभाग को लिखा जाए।

(कार्रवाई : भारतीय होटल निगम, ऐरा, मंत्रालय का ए डी अनुभाग/हिन्दी अनुभाग)

मद सं०- 4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय

- (1) **एअर इंडिया मैगज़ीन को द्विभाषी करना :** सदस्य सचिव ने बताया कि एअर इंडिया द्वारा पूर्व में प्रकाशित 'स्वागत' तथा 'नमस्कार' पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद करके उनके स्थान पर "एअर इंडिया मैगज़ीन" नामक पत्रिका शुरू की गई है। इस पत्रिका में, हिन्दी के बहुत कम पृष्ठ होने को, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने, गुवाहाटी में 13 जून, 2011 को निरीक्षण के दौरान बहुत गंभीरता से लिया था। समिति की अपेक्षा थी कि उक्त पत्रिका में कम से कम 50 प्रतिशत पृष्ठ हिन्दी में होने चाहिए। इस बारे में संयुक्त सचिव (एन) की ओर से एक अ.शा.पत्र एअर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को, 15.06.2011 को लिखा गया था और इसके उत्तर में कहा गया था कि "संबंधित विभाग को निदेश दिए गए हैं कि विश्व की अन्य एयरलाइनों की भांति एअर इंडिया मैगज़ीन के सभी लेख हिन्दी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में प्रकाशित किए जाएं अथवा हिन्दी के लेखों की संख्या अंग्रेजी के समकक्ष की जाए।" श्री सुभाष कुंद्रा, कार्यपालक निदेशक ने समिति को अवगत कराया कि हिन्दी के पृष्ठों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और जल्दी ही अपेक्षित स्तर तक पहुंच जाएगी। समिति ने इस पर संतोष व्यक्त किया।

अध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त चर्चा के दौरान कहा कि "एअर इंडिया मैगज़ीन" नाम में पूर्णता का अभाव लगता है। अतः इस पत्रिका को कोई अच्छा-सा नाम (अपने ब्रांड से मिलता-जुलता) दिया जाए और अपेक्षा व्यक्त की कि सितम्बर अथवा अक्टूबर, 2011 में प्रकाशित होने वाले अंकों से पत्रिका का प्रकाशन **नए नाम** से हो। एअर इंडिया के अधिकारियों ने इस निर्णय का पालन करने के लिए आश्वस्त किया।

(कार्रवाई : एअर इंडिया लिमिटेड)

- (2) **विभिन्न संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के संबंध में चर्चा :** अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के संबंध में अद्यतन स्थिति का जायजा लिया और निदेश दिए कि इग्नोआ की पत्रिका का अगला अंक अगस्त में तथा पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड की पत्रिका 'हंस ध्वनि' का अगला अंक सितम्बर तक निकलना चाहिए। कहा गया कि 'हंस ध्वनि' की प्रतियां एअर इंडिया आदि एयरलाइनों में रखवाने की व्यवस्था की जाए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पत्रिका 'अर्पण' पर भी चर्चा हुई। प्राधिकरण के सदस्य (कार्मिक) श्री के.के.झा की सहमति से निर्णय लिया गया कि 'अर्पण' का प्रकाशन अब छमाही में बजाय त्रैमासिक पत्रिका के रूप में किया जाएगा और अगला अंक सितम्बर, 2011 में निकाले जाने के पूरे-पूरे प्रयास किए जाएंगे।

(कार्रवाई : इग्नोआ, पवन हंस हेलिकॉप्ट लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

- (3) **हिन्दी पखवाड़े का आयोजन :** अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सितम्बर मास आने वाला है और इस दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन जोर-शोर के साथ किया जाए। सदस्य सचिव ने हिन्दी पखवाड़े के दौरान की जाने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी संक्षेप में दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक संपन्न घोषित की गई।

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27 जुलाई, 2011 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थिति :-

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	कार्यालय	
1	2	3	4
1.	डा० नसीम जैदी, सचिव	नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव	नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री गुरजोत सिंह मल्ली, आयुक्त	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	सदस्य
4.	श्री प्रशांत कुमार, आयुक्त	मुख्य रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री आलोक कुमार शरण, सं० महानिदेशक	नागर विमानन महानिदेशालय	सदस्य
6.	श्री के.के. झा, सदस्य (मा० सं०)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	सदस्य
7.	श्री संदीप प्रकाश, सचिव	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)	सदस्य
8.	श्री रविन्द्र कुमार त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड	सदस्य
9.	डा० बाल्मीकि प्रसाद, उपसचिव	नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
10.	श्री सुभाष कुंद्रा, रा.भा. अधिकारी (ईडी- वित्त/विधि)	एअर इंडिया लिमिटेड	सदस्य
11.	श्रीमती दीपा महाजन, रा.भा. अधिकारी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट (प्रशासन)	भारतीय होटल निगम	सदस्य
12.	श्री वी.के.वर्मा, निदेशक	इगुआ	सदस्य
13.	श्री आर.बी.कुशवाहा, उप महाप्रबंधक	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड	
14.	श्रीमती मेखला दत्ता, उपमहाप्रबंधक (रा.भा.)	एअर इंडिया लिमिटेड	
15.	श्री एस.एस. मोदी, उपनिदेशक	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	
16.	श्री नरेश चन्द्र चौरसिया, सहायक निदेशक	नागर विमानन मंत्रालय	
17.	श्री विजय सिंह मीणा, सहायक निदेशक	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	
18.	डा० मधु शुक्ला, सहायक निदेशक	नागर विमानन महानिदेशालय	
19.	श्री वेद प्रकाश, सहा०निदे० (रा.भा.)	मुख्य रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ	
20.	श्री महिन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)	एअर इंडिया लिमिटेड	
21.	श्री ए.आर. कश्यप, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	
22.	श्री विरेन्द्र पाल सिंह, प्रबंधक (राजभाषा)	भारतीय होटल निगम	
23.	श्री रघुवीर सिंह, सहायक वित्त नियंत्रक	नागर विमानन मंत्रालय	
24.	श्री मुकेश कागरा, क०हि० अनुवादक	भारतीय होटल निगम	
25.	श्री टेकचन्द मंगला, संयुक्त निदेशक(रा.भा.)	नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य -सचिव